

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई
निविदा सूचना

क्रमांक / लो.क.वि. / जोन-1 / 3128

भिलाई, दिनांक 16/12/2021

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से लोक निर्माण विभाग में ई-रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत टेकेंदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 / सड़क एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से लागू एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक एवं आयटम दर पर निम्नांकित कार्य हेतु दिनांक 07.01.2021 को सायं 5:30 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक 08.01.2021 को प्रातः 11:00 बजे खोली जावेगी, निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन दिनांक 02.01.2021 को सायं 5:30 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	टेकेंदार की श्रेणी
1	वार्ड-09 कोहका पुरानी बस्ती कोहका में सीवरेज लाईन बिछाने का कार्य।	3.00	3000.00	750.00	90 दिन	द एवं प्रवर
2	वार्ड-04 कृष्णा नगर में नाली एवं सीमेंटीकरण कार्य।	2.50	3000.00	750.00	60 दिन	द एवं प्रवर
3	वार्ड-69 हुड़को पेट्रोल पंप के बाजू में मैदान समतलीकरण, प्रकाश व्यवस्था, बालीबॉल पोल एवं नेट लगाने का कार्य।	2.00	2000.00	300.00	90 दिन	द एवं प्रवर
4	वार्ड-06 में पार्श्व निधि द्वारा नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य।	1.60	2000.00	300.00	60 दिन	द एवं प्रवर
5	जोन-01 अंतर्गत वायु शोप ब्रिज में लगे ट्यूबलर पोल का संधारण कार्य।	1.00	2000.00	300.00	45 दिन	द एवं प्रवर

नियम एवं शर्तें:- 1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 2. निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जायेंगे। 3. धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता / जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित टेकेंदार के नाम से तथा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित टेकेंदारी ई-पंजीयन, पेनकार्ड, आयकर, जीवित बैंक सालवेंसी प्रमाण, GST पंजीयन पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। 4. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 5. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 6. नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1 % राशि की कटौती की जावेगी, किन्तु निगम वाहनों से जल उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्रोतों से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5 % की कटौती की जावेगी। 7. टेकेंदार द्वारा निविदा में अंको एवं शब्दों दोनों में स्पष्ट रूप से दर प्रस्तुत करें नहीं किये जाने पर निविदा फार्म निरस्त किया जावेगा। 8. शासन के आदेश क्रमांक 19 दिनांक 04.06.2016 के सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि एफ.डी.आर. के रूप में निविदा के पूर्व जमा करना होगा। 9. शासन के आदेश क्रमांक 19 दिनांक 04.06.2016 के सफल निविदाकार को निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि खाते में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा किया जाना है। 10. प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। 11. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। 12. प्रत्येक कार्य के लिए पृथक-पृथक धरोहर राशि जमा करें एवं समयोजन की कार्यवाही नहीं होगी। 13. शासन के निर्देशानुसार G.S.T. एवं अन्य कर सम्मिलित रहेगा। 14. निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक एजेंसी प्रत्येक कार्य के लिए राशि रु. 100.00 स्टाम्प एफिडेविट संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15. निविदा क्रं 5 के लिये छ.ग. विद्युत मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 16. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई नेहरू नगर जोन-01, नगर निगम भिलाई की वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं चीफ की वेबसाईट proc.cgstatc.gov.in तथा <https://bhilai.urbanecg.gov.in> से देखी जा सकती है।

जोन आयुक्त 16.12.21
जोन-01
नगर पालिक निगम,
भिलाई